ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग
राजस्थान सरकार

पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तरीय भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर लगाये गये सोलर पॉवर पेक्स के संबंध में

रखरखाव पुस्तिका 2011

राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड

(सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम)

2, कनकपुरा औधोगिक क्षेत्र, सिरसी रोड़ जयपुर–302012 (राज.)

वेबसाइट : www.reilsolar.com ई–मेल : pr_callcenter@reil.co.in

टोल फ्री नम्बर – 1800-1806-051

1. पृष्ठ भूमि

राजस्थान में गाँवों तक विद्युत की पूर्ति आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध नहीं हैं। इस अव्यवस्थित विद्युत आपूर्ति और विद्युत प्रवाह के उतार चढ़ाव के कारण ग्राम पंचायतों में सुविधाएँ जैसे कम्प्यूटर व प्रिन्टर द्वारा ग्रामीण जीवन का विकास और कृषि, संचार, स्वास्थ्य, प्रशासन तथा अन्य सुविधाऐं प्रभावित होगी।

राजस्थान की सम्पूर्ण ग्राम पंचायतों मे विद्युत आपूर्ति व्यवस्था अति महत्वपूर्ण है। जहाँ विद्युत की आपूर्ति नहीं हो वहाँ सौर ऊर्जा ही सबसे उपयुक्त विकल्प है।

इसलिए ग्राम पंचायतों पर कम्प्यूटर का उपयोग करने के लिए सौर ऊर्जा तकनीक का उपयोग इस समस्या को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त है।

राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेन्ट्स लि. जयपुर (रील) एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। रील द्वारा सभी ग्राम पंचायतों व पंचायत समिति का ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत सोलर फोटोवोल्टेक संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है। जिसके द्वारा बिना रूकावट के कम्प्यूटर चलाये जा सकते हैं।

2. रील की जिम्मेदारी :

- **सप्लाई :** रील द्वारा पंचायत समिति/ग्राम पंचायत स्तर पर सोलर फोटोवोल्टेक संयंत्र की स्थापना हेतु सम्बन्धित सभी सामान जैसे सोलर फोटोवोल्टेक मोड्यूल्स, पी. सी. यू., बैट्री बैंक इत्यादि रील द्वारा सप्लाई किये जायेंगे।
- **स्थापना :** सोलर फोटोवोल्टेक संयत्र संबधित सामान की सप्लाई एवं संयंत्र की स्थापना रील द्वारा की जायेगी। सोलर फोटोवोल्टेक संयंत्रों का तकनीकी विवरण बिन्दु संख्या 5 अथवा 6 के अनुसार होगा।
- 5 वर्षों का रख–रखाव :– रील द्वारा लगाये गये सोलर फोटोवोल्टेक संयंत्रों का रख–रखाव 5 वर्षों की अवधि तक रील द्वारा किया जायेगा। सोलर पी.वी. संयंत्रों को सुचारू रुप से चलाने संबधिंत रख–रखाव 6 महीने में 1 बार रील द्वारा अवश्य किया जायेगा। सोलर फोटोवोल्टेक संयंत्र को ठीक करने के लिये समस्त लेबर, सामान आदि रील द्वारा वहन किये जायेंगे।
- **शिकायत :–** रील द्वारा लगाये गये सोलर फोटोवोल्टेक संयंत्र में खराबी आने पर उसकी शिकायत को दर्ज कराने की प्रक्रिया बिन्दु संख्या 10 के अनुसार होगी। शिकायत का निस्तारण अधिकतम 3 दिवस के अन्तर्गत रील द्वारा कर दिया जायेगा, शिकायत के निस्तारण मे देरी होने पर ₹ 100/ प्रति सप्ताह और अधिकतम ₹500/ जुर्माना रील द्वारा देय होगा।

3. पंचायती राज संस्थाओं की जिम्मेदारी :–

सोलर फोटोवोल्टेक संयंत्रों की सप्लाई, स्थापना एवं 5 वर्षो तक रखरखाव में विभाग / पंचायती राज संस्थाओं की कोई भूमिका नहीं हैं परन्तु पंचायती राज संस्थाओं द्वारा संयत्र स्थापित होने के उपरांत इन संयत्रों से कोई छेड़–छाड़ जैसे उपकरणों का स्थानान्तरण, बैटरी से टी.वी. टेप रिकार्डर, बल्ब लगाना/चलाना, दूसरी बैटरी चार्ज करना बैटरी को दूसरे काम में लेना आदि कार्य नहीं किया जायेगा। सिस्टम का स्थानान्तरण पाये जाने पर वैधानिक कार्यवाही की जा सकती हैं। पंचायती राज संस्थाए लगाये गये उपकरण की सुरक्षा के लिए पूर्णतया जिम्मेदार होगी व चोरी होने पर पुलिस में तत्काल एफआईआर दर्ज करा के रील को सूचित किया जावे।

सोलर संयंत्रो से निर्धारित क्षमता तक पावर उत्पन्न न होने की स्थिति में तत्काल इसकी शिकायत दर्ज करावें। (बिन्दु सं.10 में अंकित विधि /तरीके) **सोलर संयंत्र के वर्ष पर्यन्त सफलतापूर्वक कार्य करने की स्थिति में वार्षिक रख रखाव राशि का भुगतान वर्ष के अंत में सम्बन्धित पंचायती राज संस्था द्वारा किया जायेगा।**

4. कुल देय राशि :–

सोलर संयंत्र के लिए रील को दी जाने वाली कुल राशि का विवरण निम्नानुसार होगा (शासन सचिव EGS के पत्र दिनांक 07/12/10 द्वारा निर्धारित)

क्र.सं.	मद	पं. स. स्तरीय संयंत्र (₹)	ग्रा.प. स्तरीय संयंत्र (₹)
1	सोलर संयंत्र की आपूर्ति, स्थापना एवं 5 वर्ष तक के रखरखाव की कुल लागत (विवरण नीचे अंकित)	6,06,180	3,13,193
2	संयंत्र के उपकरणों की आपूर्ति की कुल लागत	5,40,000	2,79,000
3	संयंत्र स्थापना	20,000	11,000
4	स्थापना राशि पर सर्विस टेक्स (10.3 प्रतिशत)	2,060	1,133
5	आपूर्ति एवं स्थापना की कुल लागत (बिंदु 2+3+4)	5,62,060	2,91,133

क्र.सं.	मद	पं.स. स्तरीय संयंत्र (₹)	ग्रा.पं.स्तरीय संयंत्र (₹)
6.	नवीन एवं नवीनीकरणीय उर्जा मंत्रालाय, भारत सरकार द्वारा प्रत्येक संयंत्र के लिए दी जाने वाली केंद्रीय सहायता बिन्दु (बिन्दु संख्या 2 / 5 के विरूद्व– एमएनआरई द्वारा यह राशि सीधे ही रील को उपलब्ध करवाई जावेगी)	2,80,000	93,000
7.	संयंत्र आपूर्ति हेतु राज्य से दी जाने वाली कुल राशि	2,82,060	1,98,133
8.	क्रय आदेश पर भुगतान की जाने वाली प्रथम किस्त (बिंदु संख्या 7 की 40 प्रतिशत)	1,12,824	79,253
9.	संयंत्र क्रियाशील होने पर भुगतान की जाने वाली द्वितीय किस्त (बिंदु संख्या 7 की 50 प्रतिशत)	1,41,030	99,067
10.	चेंकिंग कार्य पूर्ण होने पर दी जाने वाली तृतीय एवं अंतिम किस्त (बिन्दु संख्या 7 की 10 प्रतिशत)	28,206	19,813
11.	5 वर्ष के रखरखाव की कुल राशि	40,000	20,000
12.	रखरखाव राशि पर सर्विस टेक्स (10.3 प्रतिशत)	4120	2060
13.	5 वर्ष के दौरान कुल देय राशि	44,120	22,060
14.	वर्ष समाप्ति पर देय वार्षिक रखरखाव राशि (बिंदु संख्या 13 में अंकित राशि को 5 समान) किस्तों में)	8,824	4,412

5. पंचायत समिति स्तर पर स्थापित किए जाने वाले सोलर पीवी संयंत्र का तकनीकी ब्यौरा :–

पंचायत समिति स्तर के राजीव गाँधी सेवा केन्द्रों पर 2240 वॉट पीक पावर के सोलर फोटोवोल्टेक संयंत्र लगाये जायेगें जिनसे निम्न उपकरण उसके सामने अंकित संख्या व अवधि के लिए चलाये जा सकेंगे :–

क्र.सं.	लोड का विवरण	मात्रा (संख्या)	अवधि (घन्टों में)
1	कम्प्यूटर	10	6
2	लेन	1	1
3	प्रिन्टर	1	1

तकनीकी विवरण :

एसपीवी मोड्यूल्स :	कुल 2240 वॉट पीक पावर क्षमता के एसपीवी मोड्यूल्स हैं। उक्त मोड्यूल्स क्रिस्टेलाइन सिलिकॉन टाईप के हैं जिनके अन्दर बाईपास डायोड्स लगे हुए हैं और उसमें 140 वॉट पीक पावर के 16 मॉडयूल लगे हुए हैं। सोलर सैल की ऊपरी सतह ऋणात्मक (–) एवं निचली सतह धनात्मक (+) होती है। एक 140 वॉट पीक पावर के पेनल में 36 सैल श्रेणी क्रम (सिरीज) में जुड़े हुए होते हैं। सोलर पैनल से डी.सी. विद्युत का उत्पादन होता है।
मोड्यूल माउन्टिंग स्ट्रक्चर :	स्ट्रक्चर को जंगरोधी बनाने के लिए गेलवेनाइज्ड किया गया हैं। इन पर सोलर फोटोवोल्टेक मोड्यूल कसे जाते हैं, जिससे कि मोड्यूल सुरक्षित रह सके।
इनवर्टर कम चार्ज नियंत्रक :	साइन वेव इनवर्टर 96 वोल्ट इनपुट/230 वोल्ट सिंगल फेस आउटपुट हैं। इनवर्टर की क्षमता 4.0 केवीए हैं। इसमें ग्रिड से चार्ज करने की भी सुविधा हैं। 96 वोल्ट डीसी इनपुट चार्ज नियंत्रक, जो कि बैट्री को 2240 वॉट पीवी एरे से चार्ज कर सकें।
बैट्री बैंक :	बैट्री बैंक की क्षमता 96 वोल्ट 300 एम्पीयर घण्टे हैं। जिसमें 6 वोल्ट/2 वोल्ट 300 एम्पीयर घण्टे की 16 बैट्री/48 बैट्री हैं। बैट्री ट्यूबलर प्लेट हैं।
जंक्शन बॉक्स :	यह बॉक्स सोलर फोटोवोल्टेक मोड्यूल्स व इनवर्टर कम चार्ज नियंत्रक के मध्य की केबल को जोड़ने के लिये लगाया जाता हैं तथा यह धूल, मिट्टी आदि रोधक हैं।
वायर्स, केबल एवं टेंग्स आदि :	मोड्यूल्स, इनवर्टर, चार्ज नियंत्रक, बैट्री बैंक इत्यादि के आन्तरिक व बाहरी कनेक्शन के लिए उपयुक्त साईज व लम्बाई वाली केबल उपलब्ध कराई गयी हैं।

6. ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित किए जाने वाले सोलर पीवी संयंत्र का तकनीकी ब्यौरा :–

ग्राम पंचायत स्तर के राजीव गाँधी सेवा केन्द्रों पर 1120 वॉट पीक पावर के सोलर फोटोवोल्टेक संयंत्र लगाये जायेंगें जिनमें से निम्न उपकरण उसके सामने अंकित संख्या व अवधि के लिए चलाये जा सकेंगे :–

क्र.सं.	लोड का विवरण	मात्रा (संख्या)	अवधि (घन्टों में)
1	कम्प्यूटर	5	6
2	लेन	1	6
3	प्रिन्टर	1	1

तकनीकी विवरण

एसपीवी मोड्यूल्स :	कुल 1120 वॉट पीक पावर क्षमता के एसपीवी मोड्यूल्स हैं। उक्त मोड्यूल्स क्रिस्टलाइन सिलिकॉन टाईप के हैं जिनके अन्दर बाईपास डायोड्स लगे हुए हैं और उसमें 140 वॉट पीक पावर के 8 मॉडयूल लगे हुए हैं। सोलर सैल की ऊपर सतह ऋणात्मक (–) एवं निचली सतह धनात्मक (+) होती है। एक 140 वॉट पीक पावर के पेनल में 36 सैल श्रेणी क्रम (सिरीज) में जुड़े हुए होते हैं। सोलर पैनल से डी.सी. विद्युत का उत्पादन होता हैं।
मोड्यूल माउन्टिंग स्ट्रक्चर :	स्ट्रक्चर को जंगरोधी बनाने के लिए गेलवेनाइज्ड किया गया हैं। इन पर सोलर फोटो वोल्टेक मोड्यूल कसे जाते हैं, जिससे कि मोड्यूल सुरक्षित रह सके।
इनवर्टर कम चार्ज नियंत्रक :	साइन वेव इनवर्टर 48 वोल्ट इनपुट/230 वोल्ट सिंगल फेस आउटपुट हैं। इनवर्टर की क्षमता 2.0 के.वी.ए. हैं। इसमें ग्रिड से चार्ज करने की भी सुविधा हैं। 48 वोल्ट डीसी इनपुट चार्ज नियंत्रक, जो कि बैट्री को 1120 वॉट पीवी एरे से चार्ज कर सकें।

बैट्री बैंक	:	बैट्री बैंक की क्षमता 48 वोल्ट 300 एम्पीयर घण्टे हैं। जिसमें 6 वोल्ट / 2 वोल्ट 300 एम्पीयर घण्टे की 8 बैट्री / 24 बैट्री हैं। बैट्री ट्यूबलर प्लेट हैं।
जंक्शन बॉक्स	:	यह बॉक्स सोलर फोटोवोल्टेक मोड्यूल्स व इनवर्टर कम चार्ज नियंत्रक के मध्य की केबल को जोड़ने के लिये लगाया जाता हैं तथा यह धूल ,मिट्टी आदि रोधक हैं।
वायर्स , केबल एवं टेंग्स आदि :		मोड्यूल्स, इनवर्टर, चार्ज नियंत्रक, बैटी बैंक इत्यादि के आन्तरिक व बाहरी कनेक्शन के लिए उपयुक्त साईज व लम्बाई वाली केबल उपलब्ध कराई गयी हैं।

7. सोलर फोटोवोल्टेक पावर पैक की स्थापना एवं रख–रखाव में निम्न बातों का रीलद्वारा ध्यान रखना चाहिये :–

(1) एसपीवी मोड्यूल्स (छत पर स्थापित मोड्यूल)

1. अधिकतम समय प्रकाश प्राप्ति के लिये मोड्यूल की दिशा दक्षिण दिशा में होनी चाहिए।
2. मोड्यूल की निचली सतह व छत में कम से कम एक फीट ऊचाई का अन्तर होना चाहिये।
3. मोड्यूल की स्थापना ऐसे स्थान पर करनी चाहिये जहाँ मोडयूल पर छाया नहीं आती हो एवं जहाँ रोजाना धूल, मिट्टी एवं अन्य अवशिष्ट आसानी से साफ किये जा सकें ताकि मोड्यूल अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकें।
4. मोड्यूल के तार ढीले नहीं होने चाहिये।
5. सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के समय इस तथ्य को ध्यान में रखें कि बैट्री, इनवर्टर कम चार्ज नियंत्रक (पी.सी.यू.) एवं लोड के मध्य ज्यादा दूरी न हो और वे किसी केन्द्रीयकृत स्थान पर रखे जायें।

(2) बैट्री

1. बैट्री को ऐसे स्थान पर रखें जहाँ वेन्टिलेशन हो (खिड़कियाँ खुली रहनी चाहिए)।

2. बैट्री को धूप एवं अग्नि के पास न रखें।
3. बैट्री के ऊपरी सिरे को हमेशा सूखा रखें।
4. बैट्री के टर्मिनल को साफ करते रहें एवं उन पर पैट्रोलियम जैली लगायें। बैट्री को साफ करने के लिए ग्रीस या अन्य किसी पदार्थ का प्रयोग कभी न करें।
5. बैट्री के विद्युत कनेक्शन हमेशा टाइट रखे एवं बैट्री क्लैम्प का ही प्रयोग करें।
6. बैट्री के प्रत्येक सैल की सभी प्लेटें पूरी तरह अम्ल में डूबी हुई होनी चाहिए। यदि प्लेट पूरी तरह नहीं डूबी हैं तो उसमें डिस्टिलड वाटर ही डालें। डिस्टिलड वाटर के साथ बैट्री के अन्दर कभी भी अम्ल न डाले। बैट्री में अम्ल केवल एक बार ही डाला जाता हैं। अतः कभी भी दुबारा अम्ल न डालें, केवल डिस्टिल वाटर ही डालें।
7. बैट्री चार्ज है या नहीं? इसका परीक्षण कभी भी बैट्री के दोनों टर्मिनल को शार्ट करके (यानि स्पार्क करके) न देखें।
8. बैट्री के टर्मिनल पर जब सल्फेट लग जाये तो उसे गरम पानी से धोएं एवं उसके बाद उस पर पेट्रोलियम जैली लगायें।
9. बैट्री के पास धातु उपकरणों से काम करते समय सावधानीपूर्वक रहें। बैट्री या बिजली के किसी भाग में शार्ट सर्किट की एक चिंगारी आग का कारण हो सकती हैं।
10. बैट्री के साथ काम करते समय विद्युत उत्प्रेरक आभूषण जैसे कि अंगूठी, घड़ी आदि नहीं पहनें और यदि पहनें हुए हो तो इन्हें उतार कर ही काम करें।
11. बैट्री को सर्विस के लिए प्रथक करने की विधि :
    - ❖ पावर स्विच बंद करें।
    - ❖ एम. सी. बी. के माध्यम से सभी एसी बिजली का सम्पर्क हटा दें।
    - ❖ सौर एम. सी. बी. स्विच बंद करें।
    - ❖ बैट्री एम. सी. बी. बंद करें और सभी बैट्री केबलों का सम्पर्क हटा दें।

(3) इनवर्टर कम चार्ज नियंत्रक (पी. सी. यू.)

1. सोलर पी.सी.यू. को किसी कपड़े से न ढकें।
2. सोलर पी.सी.यू. को किसी ज्वलनशील पदार्थ जैसे प्लाइवुड, रसायन या गैस के पास न रखें।
3. सोलर पावर कंडिशनिंग यूनिट को ग्राउन्डेड वायरिंग (Earthing) से अवश्य

जोड़ें।

4. सोलर पी.सी.यू. जिस भवन में रखे, वहाँ अच्छी तरह देख लें कि वहाँ बरसात आदि का पानी नहीं आता हो।
5. सोलर पी.सी.यू. ऐसे स्थान पर रखें जहॉ वेन्टीलेशन हो। (खिड़कियाँ खुली होनी चाहिए)

8. सोलर फोटोवोल्टेक पावर पैक की स्थापना एवं रख–रखाव में निम्न बातों का पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत द्वारा ध्यान रखना चाहिये :–

(1) एसपीवी मोड्यूल्स (छत पर स्थापित मोड्यूल)

1. छत पर लगे सोलर पेनलों के सप्ताह में कम से कम एक बार सूखे कपड़े से साफ करना चाहिये।

(2) बैट्री

1. बैट्री टर्मिनल को कभी भी शॉर्ट नहीं करें अथवा कोई भी चालक वस्तु (कन्डक्टर) टर्मिनल्स पर नहीं रखें।
2. संयंत्र में लगे तारों के साथ छेड़–छाड़ नहीं करनी चाहिये।
3. खराबी आने पर तुरन्त रील से संबंधित कार्यालय में सम्पर्क करना चाहिये।
4. संयंत्र पर कभी भी निर्धारित लोड (पंचायत समिति स्तर पर 10 कम्प्यूटर, 1 प्रिन्टर) / (ग्राम पंचायत स्तर 5 कम्प्यूटर, 1 प्रिन्टर) से अधिक न लगायें, इस बात का विशेष ध्यान रखे। अन्य विद्युत उपकरणों को नहीं जोड़ा जावे।
5. रील द्वारा निर्धारित कार्यविधि के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र का उपयोग करने की स्थिति में विद्युत का प्रयोग नहीं किया जाता है अतः इस विद्युत से चार्ज नहीं किया जावें।

9. संम्भावित खराबी का विवरण :–

रील द्वारा स्थापित किये गये सोलर फोटो वोल्टेक संयंत्र में निम्न प्रकार की खराबी आ सकती है :–

1. सिस्टम कम घंटों के लिये काम कर रहा है।
2. पी.सी.यू. काम नहीं कर रहा है।

3. सोलर फोटोवोल्टेक मोड्यूल खराब है।
4. बैट्री लो (Battery Low) का सन्देश दे रही है।
5. बैट्री खराब हो गयी है।
6. वायरिंग खराब हो गयी है।
7. सिस्टम चोरी हो गया है।(इसकी सूचना तत्काल MIS में दर्ज करें।)
8. अन्य कोई समस्या ।

10. संयंत्र के खराबी की शिकायत दर्ज कराना :–

रील द्वारा स्थापित किये गये सोलर फोटोवोल्टेक संयंत्र द्वारा निर्धारित अवधि तक पावर न देने अथवा किसी भी प्रकार की समस्या के लिए रील के टोल फ्री कॉल सेंटर पर **फोन नं. 1800-1806-051** अथवा **www.reilsolar.com** पर **ई–मेल: pr_callcenter@reil.co.in** अथवा **SMS** से शिकायत दर्ज करायी जा सकती है।

11. एसएमएस द्वारा शिकायत दर्ज करना :–

एसएमएस द्वारा शिकायत दर्ज करने हेतु अपने मोबाईल पर नीचे दर्शाये गये फोरमेट में शिकायत दर्ज करें :–

पंचायत समिति के लिए एसएमएस फोरमेट
REIL<space>CPR<space>P<pscode>
उदाहरण: पंचायत समिति दूदू जिला जयपुर के लिए शिकायत दर्ज करना
REIL CPR P081204 टाईप कर 5 6 2 6 3 पर सेंड करें
ग्राम पंचायत के लिये एमएमएस फोरमेट
REIL<space>CPR<space>G<gpcode>
उदाहरण: ग्राम पंचायत अखेपुरा पंचायत समिति दूदू जिला जयपुर के लिए शिकायत दर्ज करना
REIL CPR G08120402 टाईप कर 5 6 2 6 3 पर सेंड करें।
संबधिंत पंचायत समिति व ग्राम पंचायत जिसकी शिकायत दर्ज करना चाहते हैं उससे सम्बन्धित कोड www.reilsolar.com साईट के मुख्य पेज पर Directory menu-> PS/GP पेज पर उपलब्ध हैं।

12. महत्वपूर्ण सूचनाओं का प्रदर्शन :–

प्रत्येक संयंत्र की स्थापना के साथ ही रील द्वारा निम्न विवरण दर्शाते हुए एक सूचना पट्ट लगाया जायेगाः–

(अ) पंचायत समिति स्तरीय सूचना पट्ट

भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र

पंचायत समिति .... जिला .... स्थापना दिनांक ....

पंचायत स्तरीय सोलर संयंत्र के बारे में महत्वपूर्ण निर्देश

संयंत्र की कुल लागत : ₹ 6.06 लाख (क्रियाशील होने की दिनांक से 5 वर्ष तक रखरखाव राशि सहित)

संयंत्र की क्षमता : 2.2 किलो वॉट सौर फोटोवोल्टेक संयंत्र क्षमता

इस संयंत्र से 10 कम्प्यूटर 6 घण्टे एवं एक प्रिन्टर 1 घण्टे तक लगातार कार्य करेगें।

सोलर संयंत्र का 5 वर्ष तक रखरखाव रील द्वारा किया जावेगा। सोलर संयंत्र संबंधी किसी भी प्रकार शिकायत की एवं समस्या हेतु कॉल सेन्टर के टॉल फ्री नम्बर 180 0 1806051 पर सूचित कर शिकायत नम्बर प्राप्त करें अथवा www.reilsolar.com पर सीधे ही शिकायत दर्ज करें। दर्ज शिकायत का निस्तारण रील द्वारा अधिकतम 3 दिवस में किया जाना अपेक्षित है।

जिला कलेक्टर एवं डी.पी.सी.

(ब) ग्राम पंचायत समिति स्तरीय सूचना पट्ट :-

भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र

ग्राम पंचायत .... पंचायत समिति .... जिला ....

स्थापना दिनांक ....

ग्राम पंचायत स्तरीय सोलर संयंत्र के बारे में महत्वपूर्ण निर्देश

संयंत्र की कुल लागत	:	₹ 3.13 लाख (क्रियाशील होने की दिनांक से 5 वर्ष तक रखरखाव राशि सहित)
संयंत्र की क्षमता	:	1.1 किलो वॉट सौर फोटोवोल्टेक संयंत्र क्षमता इस संयंत्र से 5 कम्प्यूटर 6 घण्टे एवं एक प्रिन्टर 1 घण्टे तक लगातार कार्य करेगें।

सोलर संयंत्र की 5 वर्ष तक रखरखाव रील द्वारा किया जावेगा। सोलर संयंत्र संबंधी किसी भी प्रकार की शिकायत एवं समस्या हेतु कॉल सेन्टर के टॉल फ्री नम्बर 18001806051 पर सूचित कर शिकायत नम्बर प्राप्त करें अथवा www.reilsolar.com पर सीधे ही शिकायत दर्ज करें। दर्ज शिकायत का निस्तारण रील द्वारा अधिकतम 3 दिवस में किया जाना अपेक्षित है।

जिला कलेक्टर एवं डी.पी.सी.

13. (अ) SPV सयंत्रों के रख–रखाव व शिकायत निस्तारण हेतु रील द्वारा नियुक्त डिविजन कार्मिकों का विवरण :–

नाम	पद	फोन नं.	ईमेल	डिवीजन
1. श्री एस.सी. शर्मा	परियोजना अधिकारी	8058922032	pr_ajmer@reil.co.in	अजमेर
2. श्री जे.के. सोनी	परियोजना अधिकारी	8058888744	pr_bharatpur@reil.co.in	भरतपुर
3. श्री एच.के.गुप्ता	परियोजना अधिकारी	8058888544	pr_hanumangarh @reil.co.in	जिलाः हनुमानगड गंगानगर
4. श्री बी.के. पारीक	परियोजना अधिकारी	9887557805	pr_kota@reil.co.in	कोटा
5. श्री के.डी. गुप्ता	परियोजना अधिकारी	9829298193	pr_bikaner@reil.co.in	जिलाः बीकानेर चूरू
6. श्री जे.के. धवन	परियोजना अधिकारी	9694350867	pr_jodhpur@reil.co.in	जोधपुर
7. श्री सुनील माहेश्वरी	परियोजना अधिकारी	8058222662	pr_udaipur@reil.co.in	उदयपुर
8. श्री पी.पी. एस. चौहान	परियोजना अधिकारी	9694085207	pr_jaipur@reil.co.in	जयपुर

(ब) रील द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिको का विवरण www.reilsolar.com पर उपलब्ध है। वे जिला परिषद में अधिषासी अभियन्ता (EGS) द्वारा उपलब्ध कराये गये स्थान पर उपलब्ध होगें। संबंधित कार्मिको के पास स्पेयर्स जैसे कि cards, fuse, wires, lugs, petroleum jelly, multimetter, spanners etc. उपलब्ध होंगे।

14. सोलर संयंत्रों की आपूर्ति स्थापना एवं रखरखाव के संदर्भ में रील के मुख्य कार्यालय पर निम्न अधिकरियों से भी सम्पर्क किया जा सकता है :

1. **श्री जितेंद्र कुमार (डिप्टी जनरल मैनेजर)**
   फोन नं.:- 0141-2471084
   ईमेल :- jitendra.kumar@reil.co.in
2. **एच.एस. गालव (मैनेजर)**
   फोन नं.:- 0141-2470784
   ईमेल :- hs.galav@reil.co.in
3. **श्री दीपक गुप्ता (मैनेजर)**
   फोन नं.:- 0141-2470908
   ईमेल :- deepak.gupta@reil.co.in
4. **श्री निकुंज पाठक (डिप्टी मैनेजर)**
   फोन नं. :- 0141-2470908
   ईमेल :- nikunj.pathak@reil.co.in
5. **श्री संजय चारण (डिप्टी मैनेजर)**
   फोन नं.:- 0141-2470908
   ईमेल :- sanjay.charan@reil.co.in

संयंत्रों की शिकायतों का विवरण

क्रं.सं.	शिकायत दर्ज करने की दिनांक	शिकायत क्रमांक	शिकायत ठीक होने की दिनांक	हस्ताक्षर शिकायतकर्ता	विशेष विवरण

संयंत्रों की शिकायतों का विवरण

क्रं.सं.	शिकायत दर्ज करने की दिनांक	शिकायत क्रमांक	शिकायत ठीक होने की दिनांक	हस्ताक्षर शिकायतकर्ता	विशेष विवरण

सोलर संयंत्रों की क्रियाशीलता में समस्या आने, रील द्वारा शिकायतों को निपटारा न करने, किसी भी प्रकार की शिकायत एवं सुझाव के क्रम में सूचित करे :–

1. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं जिला कलक्टर
2. परियोजना निदेशक, पदेन उप सचिव, ईजीएस, ग्रावि. एवं परावि., शासन सचिवालय जयपुर, फोन: 0141–2227956, 2227287
3. कॉल सेन्टर, ईजीएस, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
4. रील कॉल सेन्टर 180 0 1806051

(कृपया इस रखरखाव पुस्तिका को ग्राम पंचायत/पंचायत समिति के SPV बैट्री रुम में सुरक्षित रखें)